संख्या-48/2026/824जे0/22-5-2026-300(106)/2017-ई-2018997

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5 **लखनऊ: दिनांक 22 जुलाई, 2026**

विषय- जिला कारागार, पीलीभीत में निरूद्ध विचाराधीन बंदी मुश्ताक पुत्र हाजी जफर का के0जी0एम0यू0, लखनऊ में कराये गये उपचार पर व्यय की गयी धनराशि **रू० 91,011.00/- (रूपये इक्यानबे हजार ग्यारह मात्र)** की कार्योत्तर प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-25785/सामा-1(3)/06/बरेली0परि0/ब0चि0धना0-मुश्ताक/26, दिनांक 07-07-2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जिला कारागार, पीलीभीत में निरूद्ध विचाराधीन बंदी मुश्ताक पुत्र हाजी जफर का के0जी0एम0यू0, लखनऊ में कराये गये उपचार पर व्यय की गयी धनराशि **रू० 91,011.00/- (रूपये इक्यानबे हजार ग्यारह मात्र)** की कार्योत्तर प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, पीलीभीत में निरूद्ध विचाराधीन बंदी मुश्ताक पुत्र हाजी जफर का के0जी0एम0यू0, लखनऊ में कराये गये उपचार पर व्यय की गयी धनराशि **रू० 91,011.00/- (रूपये इक्यानबे हजार ग्यारह मात्र)** की एतदद्वारा कार्योत्तर प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उक्त के निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2026-2027 के अनुदान संख्या-25, लेखाशीर्षक-2056-जेले-आयोजनेत्तर-101-जेले-03-समस्त कारागार के मानक मद संख्या-42- अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा तथा उपलब्ध बजट प्राविधान से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ई-12-251/दस-2014-01/2014, दिनांक 13-08-2014 में दिये गये निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(कमलेश कुमार)
उप सचिव।

संख्या:48/2026/824जे0(1)/22-5-2026, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- मुख्य कोषाधिकारी, पीलीभीत ।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, पीलीभीत।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अभय कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।